

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 940/2024

अनवान : -

- 1- कृष्ण कुमार पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 2- बनवारीलाल पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम

- 1- रामेश्वरलाल पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 2- विजयपाल पुत्र महेन्द्रसिंह जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 3- रामभतेरी पत्नी धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 4- अंकिता पुत्री धर्मपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रामभतेरी पत्नी धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 5- शिक्षा पुत्री धर्मपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रामभतेरी पत्नी धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 6- संतोदेवी पत्नी इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7- सुभाष पुत्र इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8- शिशपाल पुत्र इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 9- गायत्री पुत्री इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 10- नाथी पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 11- विमला पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 12- माया पत्नी महेन्द्रसिंह जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 13- ममता पुत्री महेन्द्रसिंह जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 14- भूरीदेवी पुत्री मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 15- सहीराम पुत्र मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 16- उदमीराम पुत्र मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 17- प्रभूराम पुत्र मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 18- कलावती पुत्री मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 19- शान्तिदेवी पुत्री मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 20- बाधुदेवी पत्नी सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 21- विमला पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 22- शंकरलाल पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 23- भगवानाराम पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 24- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।


— प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 30/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता  वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 76/46 के कुल खसरे 40 की कुल तादादी 10.1200 है0 मुश्तरका खाता की भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 24287/8500800 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 प्रत्येक का 24287/2833600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10, 11 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12, 13 प्रत्येक का 24287/2833600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 ता 19 प्रत्येक का 3/700 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 प्रत्येक का 3/2800 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 10 ता 11 जो कि वादीगण की बहिने है उपरौत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 की माता व बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 जो कि वादीगण की बुआ के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 76/46 के कुल खसरे 40 की कुल तादादी 10.1200 है0 में प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 14 ता 23 के नाम दर्ज भूमि में से 3/5 हिस्सा पर वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/10 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व 1/10 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 23 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 24 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर

अ
उपरखण्ड अधिकारी
नोहर

दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 76/46, चित्रप्रति नामान्तरण स0 488 दिनांक 05.09.2024 रोही मौजा 1 बी बारानी मृत्यु प्रमाण पेमाराम, मामकौरी, सोहनलाल, महेन्द्र सिंह, इन्द्राज, धर्मपाल, सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 24287/8500800 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 प्रत्येक का 24287/2833600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10, 11 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12, 13 प्रत्येक का 24287/2833600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 ता 19 प्रत्येक का 3/700 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 प्रत्येक का 3/2800 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीया संख्या 10 ता 11 जो कि वादीगण की बहिने है उपरौत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 की माता व बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 जो कि वादीगण की बुआ के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 76/46 के कुल खसरे 40 की कुल तादादी 10.1200 है0 मुश्तरका खाता की भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 24287/8500800 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 प्रत्येक का 24287/2833600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10, 11 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12, 13 प्रत्येक का 24287/2833600

हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 ता 19 प्रत्येक का 3/700 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 प्रत्येक का 3/2800 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 10 ता 11 जो कि वादीगण की बहिने है उपरौत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 की माता व बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 जो कि वादीगण की बुआ के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 76/46 के कुल खसरे 40 की कुल तादादी 10.1200 है0 में प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 14 ता 23 के नाम दर्ज भूमि में से 3/5 हिस्सा पर वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/10 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व 1/10 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा एवं सजरा खानदान के अनुसार पेमाराम व मामकोरी के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 76/46 के कुल खसरे 40 की कुल तादादी 10.1200 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 14 ता 23 का नाम कलमजन किया जाकर 3/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में

अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 940/2024

अनवान : -

- 1- कृष्ण कुमार पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 2- बनवारीलाल पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

--- वादीगण

बनाम


- 1- रामेश्वरलाल पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 2- विजयपाल पुत्र महेन्द्रसिंह जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 3- रामभतेरी पत्नी धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 4- अंकिता पुत्री धर्मपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रामभतेरी पत्नी धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 5- शिक्षा पुत्री धर्मपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रामभतेरी पत्नी धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 6- संतोदेवी पत्नी इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7- सुभाष पुत्र इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8- शिशपाल पुत्र इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 9- गायत्री पुत्री इन्द्राज जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 10- नाथी पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 11- विमला पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 12- माया पत्नी महेन्द्रसिंह जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 13- ममता पुत्री महेन्द्रसिंह जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 14- भूरीदेवी पुत्री मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 15- सहीराम पुत्र मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 16- उदमीराम पुत्र मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 17- प्रभूराम पुत्र मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 18- कलावती पुत्री मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 19- शान्तिदेवी पुत्री मामकौरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 20- बाधुदेवी पत्नी सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 21- विमला पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 22- शंकरलाल पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 23- भगवानाराम पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 24- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

--- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 940 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या

 उपखण्ड अधिकारी
नोहर

76/46 के कुल खसरे 40 की कुल तादादी 10.1200 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 14 ता 23 का नाम कलमजन किया जाकर 3/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर